

19

संख्या: नि.वि. 52/1/2020

प्रपत्र,

विप्रा भाल, (भा0प्र0से0)

निबंधन महानिरीक्षक,

झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त-सह-जिला निबंधक,

झारखण्ड।

राँची, दिनांक 21/10/2020

विषय:- प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का निबंधन रोकने हेतु प्रतिबंधित भूमि की प्रविष्टि निबंधन साफ्टवेयर NGDRS में करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2958, दिनांक-20.10.2020, पत्रांक-2912, दिनांक-19.10.2020, पत्रांक-440, दिनांक-14.09.2020, पत्रांक-585, दिनांक-10.10.2019, पत्रांक-636, दिनांक-19.11.2019, पत्रांक-570, दिनांक-31.08.2018, तथा पत्रांक-1132, दिनांक-26.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय प्रासंगिक पत्रांक-2958, दिनांक-20.10.2020 द्वारा दिनांक-12.10.2020 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक में सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु SOP तैयार करने का निदेश दिया गया है। प्रतिबंधित सूची के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भूमि, खास महल की भूमि, लीज बंदोबस्त की गयी भूमि, विभिन्न विभागों के लिए अर्जित की गयी रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि, संरक्षित/अधिसूचित वन भूमि को निश्चित रूप से NGDRS के अन्तर्गत अपलोड करने की आवश्यकता है, जिसे जिला निबंधक-सह-उपायुक्त के माध्यम से प्रतिबंधित सूची में जोड़ते हुए NGDRS में अद्यतन करने का निदेश दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि अधिसूचना संख्या-1132, दिनांक-26.08.2015 तथा अधिसूचना संख्या-585, दिनांक-10.10.2019 द्वारा निबंधन अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा 22 के अन्तर्गत सरकारी भूमि (कैशर हिन्द भूमि/गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के लिए अर्जित/हस्तांतरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के हस्तांतरण विलेख के निबंधन को लोकनीति के विरुद्ध घोषित किया गया है। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का निबंधन रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा समय-समय पर विभाग द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

अतः दिनांक-12.10.2020 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही तथा प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सभी प्रतिबंधित सूची के अन्तर्गत आने वाले सरकारी तथा अधिसूचित वन भूमि को निश्चित रूप से NGDRS के अन्तर्गत अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से विभाग को दिनांक-10.11.2020 तक अवगत करायी जाए।

अनु०:-यथोक्त।

प्रधान सचिव कोषांग
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
52/1/

52/1/ नि.वि. (negative list)-10/2017 514/10

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर समाहर्ता, झारखण्ड/ सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/ सभी जिला अवर निबंधक/ सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनाार्थ प्रेषित।

विश्वासभूजन,
निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक-21/10/2020

विश्वासभूजन,
निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक-7/अवैध पातन/खनन (मुक0)-19/2020-3753 व0प0, राँची दिनांक-26/11/2020

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय पोर्टल पर upload करने हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

उपस्थित
12/11/2020